तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
18/07/22	पत्रावली फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता उप०। वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र पर पेश कर निवेदन कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। लिहाजा दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा होने से प्रार्थी इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। तथा इस प्रकरण को डिग्री करवाना चाहते है। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एव विपक्षीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा होने से प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने से प्रकरण खारिज/डिग्री योग्य है। अतः वकील प्रार्थी व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रकरण खारिज डिग्री खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर